

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ०प्र०, इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: 09 जनवरी, 2018

विषय:- "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018" के आयोजन हेतु गाइड लाइन्स/दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-राशै० 35103-04/2017-18 दिनांक 22.12.2017 तथा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पत्र संख्या- गोप०/प्रा०स०अ०/21522-5/2017-18 दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018" के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त, गाइड लाइन्स, प्रक्रिया और समय सारिणी के संबंध में शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018" आयोजित किये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त, गाइड लाइन्स, प्रक्रिया और समय सारिणी संलग्न कर निर्गत किया जाता है।

3- "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018" शासनादेश सं०-2609/79-5-18/2018 दिनांक 09.01.2018 द्वारा उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के कुल 68,500 पदों पर भर्ती के लिये आयोजित की जायेगी। यह परीक्षा मात्र इसी भर्ती के लिये ही मान्य होगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भुवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद उ०प्र०।
- 4- निदेशक, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा/साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा उ०प्र० लखनऊ।
- 5- अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा उ०प्र० इलाहाबाद।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ०प्र० इलाहाबाद।
- 7- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उ०प्र०।
- 8- समस्त प्राचार्य, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र०।
- 9- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।
- 10- शिक्षा अनुभाग-5
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस० राजलिंगम)
विशेष सचिव।

“सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018” का आयोजन किये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त, गाइड लाइन्स, प्रक्रिया और समय सारिणी।

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं में शैक्षिक गुणवत्ता को विकसित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने हेतु राज्य स्तर पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये स्नातक, प्रशिक्षित तथा प्राथमिक स्तर के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्राप्तांक प्रतिशत का 60 प्रतिशत अंक उनके गुणांक के साथ जोड़ा जायेगा। इस क्रम में शासनादेश सं० 2282/79-5:2017 -रिट-105/2014 दिनांक 09.11.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०-34 सन् 1972) की धारा-19 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 का बीसवाँ संशोधन नियमावली 2017 निर्गत की गयी है।

(ख) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु कुल 68500 पदों के सापेक्ष आयोजित की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है। यह परीक्षा मात्र इसी भर्ती के लिये ही मान्य होगी।

2- परीक्षा संस्था

शासनादेश सं०-4029/15-11- 2017 दिनांक 24.11.2017 द्वारा “सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018” के आयोजन हेतु परीक्षा संस्था के रूप में सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, एलनगंज, उ०प्र० इलाहाबाद को नामित किया गया है। परीक्षा संस्था के रूप में नामित परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा परीक्षा को ससमय सम्पन्न कराये जाने हेतु बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित विभागों/अनुभागों द्वारा भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा परीक्षा का आयोजन करने और परीक्षाफल तैयार करने हेतु एजेन्सी का चयन तथा पारिश्रमिक की दरें भी निर्धारित की जायेंगी।

परीक्षा कराने वाला निकाय का आशय उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिये परीक्षा का आयोजन कराने हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ०प्र० लखनऊ की इकाई “ परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, 23 एलनगंज इलाहाबाद से है।

3- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का माध्यम

(1) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा ऑन लाइन आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञापित के क्रम में निर्धारित वेबसाइट पर लॉगिन करके केवल आनलाइन आवेदन करेंगे, आवेदन फार्म की प्रस्तुति से पहले निम्नलिखित तैयारियाँ आवश्यक हैं:-

(क) अभ्यर्थी के पास आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय नवीनतम फोटोग्राफ और हस्ताक्षर (केवल जे०पी०ई०जी० प्रारूप में) अपलोड करने के लिए स्कैन इमेज होनी चाहिए।

(ख) आवेदन पत्र पूरित करने से पूर्व अभ्यर्थी को ऑन-लाइन आवेदन प्रक्रिया के सापेक्ष आवेदन शुल्क जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगी, धनराशि अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की नवीनतम तकनीकी द्वारा निर्धारित भुगतान के माध्यम से, जमा करना अनिवार्य होगा।

(ग) शुल्क जमा करने के बाद आवेदनपत्र की अन्तिम प्रस्तुति के लिए शुल्क जमा करने के साक्ष्य के रूप में निर्धारित बैंक द्वारा प्राप्त ट्रान्जेक्शन आई.डी. संख्या अभ्यर्थी अपने पास रखेंगे।